

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 08(9)चिस्वा/2/21/EFILE-03332

जयपुर,दिनांक:

--:आदेश:--

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत उप निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 18.10.2022 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई जिसमें डॉ. शिषिर कुमार सामन्त (बैरवा), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जन्म तिथि 07.05.1981 को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया, किन्तु इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 विभागीय कार्यवाही में दिनांक 25.02.2020 को ज्ञापन जारी होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई।

डॉ. शिषिर कुमार सामन्त के विरुद्ध विचाराधीन उक्त विभागीय जॉच प्रकरण को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2023 के द्वारा अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही लिखित कथन स्तर पर समाप्त करने के आदेश जारी किये गये है।

अतः डॉ. शिषिर कुमार सामन्त (बैरवा), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जन्म तिथि 07.05.1981 को दिनांक 01.04.2021 से उप निदेशक के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति के फलस्वरूप इनका पदस्थापन यथावत रखा जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीणा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक जन स्वा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
6000994



1

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.09 13:41:41 IST
Reason: Approved